



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 19, 2010/आश्विन 27, 1932

No. 2180]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 2010/ASVINA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2010

New Delhi, the 19th October, 2010

सं. 80/2010-आयकर

No. 80/2010-INCOME TAX

का.आ. 2588(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जीवन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिनांक 23 नवम्बर, 2007 के पत्र द्वारा यथा अनुमोदित टाटा ए आई जी जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड के 'ईजी रिटायर एन्युटी प्लान' को उक्त खंड (xii) के प्रयोजनार्थ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड के एन्युटी प्लान के रूप में विहित करती है।

S.O. 2588(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (2) of Section 80C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the Tata AIG Easy Retire Annuity Plan of the Tata AIG Life Insurance Company Limited, as approved by Insurance Regulatory and Development Authority vide its letter dated 23rd November, 2007, as the annuity plan of the ICICI Prudential Life Insurance Company Limited for the purposes of the said clause (xii).

2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[अधिसूचना सं. 80/2010/फा. सं. 178/04/2009-आ. क. नि.-1]

[Notification No. 80/2010/F. No. 178/04/2009/ITA-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ. क. नि.-1)

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)